भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES COURT FEE

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक :– /2018 रिविजन

R/ निगरानी/उज्जैन/भू.रा/2018/0191

(38)

बाबुलाल पिता अम्बारामजी जाति भील

निवासी ग्राम खरसोद कलॉ तहसील बड़नगर

जिला उज्जैन म0प्र0 ———–आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेशा शासन द्वारा –

पटवारी मोजा ग्राम–खरसोद कलॉ तह.बड़नगर

जिला उज्जैन म0प्र0 ———–अनावेदक

श्री ...... 06.1.18 को प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 11.1.18 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 6.1.18

पुनरिक्षण याचिका धारा 50 भू.रा.सं.

न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन म0प्र0 के प्रकरण कमांक – 498अपील/2014–15 आदेश दिनांक – 27/11/2017 से असंतुष्ट एवं दुःखित होकर पुनरीक्षण याचिका.

06/01/18

माननीय महोदय

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी / उज्जैन / भू.रा. / 2018 / 0191

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–2–2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के आदेश दिनांक 27–11–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर अतिकमण किया जाना स्वयं स्वीकार किया गया है । इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त के समक्ष आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अवैधानिक होने के संबंध में कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश यथावत रखते हुए आवेदक की अपील निरस्त करने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	